



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर

दुसरी मंजील, जी.एस.आई. फिल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय कॉम्पेक्स,
पोस्ट- विधानसभा, रायपुर (छ.ग.) पिन-492005, फोन नं.-0771-2282530,2285590/95
ईमेल-ro.raipur.ibm@gmail.com



No. CHG/BLD/Fe/30MPR13002
सेवा में,

MINE CODE: 30MPR13002

Date: 13-10-2017

श्री एन. के. मण्डल, एजेन्ट माइन्स,
झरनदल्ली एवं दल्ली यंत्रिकृत लौह अयस्क खदान, (719.60 हे०)
सर्वश्री स्टील अर्थोरिटे ऑफ इंडिया,
पो.-दल्ली राझरा, जिला- बलौद, पिन-491228

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के जिले में स्थित आपकी झरनदल्ली एवं दल्ली यंत्रिकृत लौह अयस्क खदान, (719.60 हे०) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी खान का निरीक्षण दिनांक 07.09.2017 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11(4)	The period of mining plan for the lease last approved on 03/08/2016 will be expired on 31/3/2018 and review of mining plan has not been submitted to the competent authority at least one hundred and eighty days before the expiry of five years period for which it was approved on the last occasion, for mining operations for a period of five subsequent years.
Rule 26	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines before 1st day of July every year setting forth of Protective & rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2016-17.
Rule 33	Updated print copy of the surface geological plan and sections has not been submitted before 30th day of June for the year 2016-17.
Rule 35 (2)	The softcopy (in the standard format), of high resolution satellite images obtained from CARTOSAT-2 Satellite LISS-IV sensor on the scale of cadastral map has not been submitted.

2. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11 (4) के अंतर्गत

(क) खदान की सारी संक्रियाएं बन्द की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(आर. एन. मिश्र)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. खान नियंत्रक, (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
3. श्री समीर स्वरूप, दल्ली यंत्रिकृत लौह अयस्क खदान, सर्वश्री स्टील अर्थोरिटे ऑफ इंडिया, पो.-दल्ली राझरा, जिला- बलौद, पिन-491228

(आर.एन.मिश्र)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर।